

‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-आशा)

चर्चा में क्यों?

सरकार की किसान अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्नदाता के प्रति अपनी जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan- PM-AASHA) को मंजूरी दे दी है। यह किसानों की आय के संरक्षण की दशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक असाधारण कदम है जिससे किसानों के कल्याण हेतु किये जाने वाले कार्यों में अत्यधिक सफलता मिलने की आशा है।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिये उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में की गई है।

पीएम- आशा के प्रमुख घटक

- नई समग्र योजना में किसानों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है और इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं
 - ◆ मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme-PSS)
 - ◆ मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme- PDPS)
 - ◆ नज्जी खरीद एवं स्टॉकसिट योजना (Private Procurement & Stockist Scheme- PPSS)

मूल्य समर्थन योजना :

- इसके तहत दालों, तलहिन और गरी (Copra) की भौतिक खरीदारी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी।
- यह भी नरिणय लिया गया है कि नैफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम (FCI) भी राज्यों/ज़िलों में PSS परचालन की ज़िम्मेदारी संभालेगा।
- खरीद पर होने वाले व्यय और खरीद के दौरान होने वाले नुकसान को केंद्र सरकार मानकों के मुताबिक वहन करेगी।

मूल्य न्यूनता भुगतान योजना

- इसके तहत उन सभी तलहनी फसलों को कवर करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिये MSP को अधिसूचित कर दिया जाता है।
- इसके तहत MSP और बिक्री/औसत मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान पहले से ही पंजीकृत उन किसानों को किया जाएगा जो एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के ज़रिये अधिसूचित बाज़ार में अपनी उपज की बिक्री करेंगे।
- समस्त भुगतान सीधे किसान के पंजीकृत बैंक खाते में किया जाएगा।
- इस योजना के तहत फसलों की कोई भी भौतिक खरीदारी नहीं की जाती है क्योंकि अधिसूचित बाज़ार में बिक्री करने पर MSP और बिक्री/औसत मूल्य में अंतर का भुगतान किसानों को कर दिया जाता है।
- PDPS के लिये केंद्र सरकार द्वारा सहायता, तय मानकों के अनुसार दी जायेगी।

नज्जी खरीद एवं स्टॉकसिट योजना

- तलहिन के मामले में यह नरिणय लिया गया है कि राज्यों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे चुनिंदा ज़िला/ज़िले की APMC (Agriculture Produce Market Committee) में प्रायोगिक आधार पर नज्जी खरीद एवं स्टॉकसिट योजना (PPSS) शुरू कर सकते हैं जिसमें नज्जी स्टॉकसिटों की भागीदारी होगी।
- प्रायोगिक आधार पर चयनित ज़िला/ज़िले की चयनित APMC तलहिन की ऐसी एक अथवा उससे अधिक फसलों को कवर करेगी जिसके लिये MSP को अधिसूचित किया जा चुका है।
- चूँकि यह योजना अधिसूचित जसि की भौतिक खरीदारी की दृष्टि से PSS से काफी मिलती-जुलती है, इसलिये यह प्रायोगिक आधार पर चयनित ज़िलों में PSS/PDPS को प्रतिस्थापित करेगी।
- जब भी बाज़ार में कीमतें अधिसूचित MSP से नीचे आ जाएंगी तो चयनित नज्जी एजेंसी PPSS से जुड़े दशा-नरिदेशों को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत

किसानों से अधिसूचित अवधि के दौरान अधिसूचित बाजारों में MSP पर जसि की खरीदारी करेगी।

- यह व्यवस्था तब अमल में लाई जाएगी जब नज्जी चयनति एजेंसी को बाजार में उतरने के लिये राज्य/केंद्रशासति प्रदेश की सरकार द्वारा अधिकृत कथिया जाएगा और अधिसूचित MSP के 15 परतशित तक अधिकितम सेवा शुल्क देय होगा।

व्यय :

- कैबनित ने 16,550 करोड़ रुपए की अतरिकित सरकारी गारंटी देने का फैसला कथिया है जसिसे यह गारंटी बढ़कर 45,550 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुँच गई है।
- इसके अलावा, खरीद परचालन के लिये बजट प्रावधान भी बढ़ा दिया गया है और पीएम-आशा के क्रयान्वयन के लिये 15,053 करोड़ रुपए मंजूर कथिये गए हैं।

किसानों के हति में कैबनित द्वारा लिये गए अन्य फैसले

न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि:

- सरकार उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करने के सदिधांत पर चलते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSP) में पहले ही वृद्धिकर चुकी है।
- MSP में वृद्धिके कारण राज्य सरकारों के सहयोग से खरीद व्यवस्था को काफी बढ़ावा मलिया जसिसे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

DFPD के साथ-साथ कपड़ा मंत्रालय की वर्तमान योजनाओं को जारी रखने का फैसला :

- धान, गेहूँ एवं पोषक अनाजों/मोटे अनाजों की खरीद के लिये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण वभिग (Department of Food and Public Distribution- DFPD) की अन्य मौजूदा योजनाओं के साथ-साथ कपास एवं जूट की खरीद के लिये कपड़ा मंत्रालय की अन्य वर्तमान योजनाएँ भी जारी रहेंगी, ताक किसानों के लिये इन फसलों की MSP सुनिश्चित की जा सके।

खरीद हेतु नज्जी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने का फैसला:

- कैबनित के अनुसार, खरीद परचालन में प्रायोगिक तौर पर नज्जी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, ताक इस दौरान मलिने वाली जानकारियों के आधार पर खरीद परचालन में नज्जी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जा सके।

नया बाजार ढाँचा स्थापति करने का प्रयास

- किसानों के लिये एक नया बाजार ढाँचा स्थापति करने के लिये भी प्रयास कथिये जा रहे हैं, ताक उनकी उपज का उचित या लाभकारी मूल्य दलिया जा सके।
- इनमें ग्रामीण कृषि बाजारों की स्थापना करना भी शामिल है, ताक खेतों के काफी निकट ही 22,000 खुदरा बाजारों को प्रोत्साहित कथिया जा सके।

सरकार की किसान अनुकूल अन्य पहलें :

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- परंपरागत कृषि विकास योजना
- मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण
- मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन वपिणन अधनियम, 2017 और मॉडल अनुबंध खेती एवं सेवा अधनियम, 2018।